न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40 / 2020

1 गोपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी सुलतान तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये मुख्तयार आम राजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विरेन्द्र सिंह पुत्र भैरूसिंह।
2 अरूण सिंह पुत्र भैरूसिंह।
3 श्रीमती मगन कंवर पत्नी भैरूसिंह।
4 लक्ष्मण सिंह पुत्र भंवर सिंह।
5 बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह।
6 श्रीमती सोहन कंवर पत्नी भंवर सिंह।
7 प्रभूसिंह पुत्र बहादूर सिंह।
8 करणी सिंह पुत्र बहादूर सिंह।
9 गिरधारी सिंह पुत्र बहादूर सिंह।
10 श्रीमती रामकंवर पत्नी बहादूर सिंह।
11 हनुमान सिंह दत्तक पुत्र बालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
12 यासीन पुत्र यामीन कुरैशी जाति व्यापारी मुसलमान निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 11.10.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा
उनवानी विरेन्द्र सिंह बनाम यासीन वगैरह प्रार्थना
पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी
मुकदमा नम्बर 73/2011

उपस्थिति :

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः— 24.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 73/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि गत खसरा नम्बर 386,388 हाल खसरा नम्बर 636,637 वाके ग्राम सुल्ताना तहसील चिड़ावा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर भूमि खसरा नम्बर 636,637,641,642,643,644 वाके ग्राम सुल्ताना पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की एवं बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से इस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद स्थाई किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 एवं 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था जिसे पक्षकार बनाये बिना विचारण न्यायालय से प्रार्थी ने विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन आदेश प्राप्त कर लिया है। अपीलांट को इसकी जानकारी नही थी जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। न्यायहित में आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 636,641,642,643, 644 के सम्बंध में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इन खसरा नम्बरान के खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नही कर विधिक त्रुटि की है। विचाराधीन आदेश से अपीलांट के हक प्रभावित हो रहे है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। पक्षकारों के हक हकुक का निर्णय मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व स्थगन खारिज किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में गत खसरा नम्बर 386 व 388 के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 386 व 388 के हाल खसरा नम्बर 636,641,642,643,644 बने है। पक्षकारों के हक हकुक विचाराधीन वाद में होना शेष है। विचारण न्यायालय में लम्बित वाद में राजस्व रिकार्ड की सत्यता के सन्दर्भ में निर्णय होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर